रोहिताश / रमेश

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
3.1.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना तथा तहत अदालत के आदेश दिनांक 13.5.19 एवं प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2075-78 का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस विवादित आराजी में 1/4-1/4 भाग के सहखातेदार हैं। तहत अदालत द्वारा एक सहखातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं। अपीलांटस द्वारा दिनांक 27.06.2019 को ही तहत न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु तहत अदालत द्वारा धारा-212 RT ACT के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है, जबकि आदेश 39 नियम 3 (क) CPC में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण की समयावधि 30 दिवस निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिती में उक्त प्रावधानों के तहत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांटस इसी स्तर पर आंशिक स्वीकार की जाकर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो उनके यहां लम्बित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT ACT प्रकरण संख्या 24/19 उनवान रमेश बनाम रोहिताश का निस्तारण उभयपक्षों को सुनकर आदेश 39 नियम 3 (क) CPC में दी गई समयावधि (30 दिवस) के अन्दर करें, तब तक तहत अदालत का आदेश दिनांक 13.5.19 का प्रभाव अपीलांटस के 1/4-1/4 हिस्से की हद तक स्थगित किया जाता है। अपीलांटस को निर्देशित किया जाता है कि वे नियत दिनांक को वास्ते सुनवाई तहत अदालत में उपस्थित होवें। प्रकरण Remand किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे।
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर